–:नीलामी निविदा सूचना:–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, गाजियाबाद क्षेत्र के विभिन्न बस स्टेशनों पर रिक्त पड़े निम्नलिखित स्टालों का टेण्डर द्वारा निगम मुख्यालय के पत्र संख्या–1118रोपी/17–177एफए/01–।।ठेको की नीति, दिनांक 02.05.2017 के अनुक्रम में, माह के प्रत्येक बुधवार को कार्यालय दिवस में नीलामी होगी, **(बुधवार को अवकाश हाने पर आगामी कार्य दिवस में),** इच्छुक व्यक्ति जो टेण्डर फार्म लेना चाहते है, वह टेण्डर फार्म रूपया–20.00 सक्षम अधिकारी के कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, 1 ए कौशाम्बी गाजियाबाद में जमा कर कार्यालय अवधि में प्रत्येक मंगलवार तक प्राप्त कर सकते है। **प्रत्येक बुधवार (13.09.2017, 20.09.2017, 27.09.2017 व 04.10.2017)** को समय 14:00 बजे तक प्राप्त निविदाओं को उसी दिन समय 15:00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। **पार्किग ठेका 01** वर्ष हेतु एवं **अन्य स्टाल 01** वर्ष की अवधि हेतु मान्य होगें। यह अस्थायी व्यवस्था अग्रिम स्थायी आदेश जारी होने के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जायेगी।

डिपो	स्टाल का नाम	आरक्षित मुल्यप्रतिमाह
गाजियाबाद बस स्टेशन	**कार,स्कूटर,मो0साईकिल स्टैण्ड एक वर्ष हेतु**	**27,000/–प्रतिमाह**
	बुक स्टाल	17,080.00
साहिबाबाद बस स्टेशन	फल व सूखे फल	3450/–
	जनरल मर्चेण्ट	3600/–
बुलन्दशहर नया बसस्टेशन	बुक स्टाल	3200.00
	बिजनेससेन्टर	4500.00
	मैडिकल स्टोर	4500.00
	एसटीडी/पीसीओ/मोबाइल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स गुडस	3000.00
	जलपान ग्रह	54450.00
	फल स्टाल	30250.00
	जनरल मर्चेन्ट	**30250.00**
दादरी बस स्टेशन	फल व सूखे फल	1500/–
	जनरल मर्चेण्ट	1500/–
कौशाम्बी बसस्टेशन	सैलून पार्लर	6000/–

टेण्डरदाता को टेण्डर फार्म के साथ **ऑफर की गयी धनराशि का एक माह के समतुल्य** का बैंक ड्राफ्ट, जो क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, गाजियाबाद के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा। उच्चतम् ऑफर की दशा में लाईसेन्स फीस प्रतिभूति के रूप में नीलामी की कार्यवाही के तुरन्त बाद निगम कोष में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी अन्यथा टेण्डर के साथ संलग्न बैंक ड्राफ्ट जब्त कर लिया जायेगा। टेण्डर फार्म रू0–20.00(रू0 बीस)+18प्रति0जीएसटी के नकद भुगतान पर उपरोक्त विवरण के अनुसार क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय, गाजियाबाद से प्राप्त किये जा सकते हैं तथा ठेकों से सम्बन्धित नियम व शर्तें भी देखी जा सकती हैं। कैन्टीन संचालक को ट्रॉली युक्त वेण्डर्स से रू0 5000/–प्रतिमाह व ट्राली रहित प्रत्येक वेण्डर्स से रू0 2000/–प्रतिमाह की दर से भुगतान किये जाने पर अनुमति प्रदान की जायेगी। मासिक किरायें में प्रत्येक वर्ष **10%** की वृद्वि होगी। ठेकेदार/व्यक्ति को जो केन्टीन/स्टाल/दुकान की निविदा स्वीकृत की जायेगी उसको निर्धारित स्थान पर संचालित करना होगा और स्टाल संबंधी आईटम/सामान का विक्रय किया जायेगा।

निविदा प्रपत्र के साथ क्षेत्रीय स्तर के स्टाल एवं दुकानो के आवंटन हेतु प्रत्येक स्टाल के लिऐ रू0 10,000/– तथा डिपो स्तर के प्रत्येक स्टाल के लिऐ रू0 2000/– अर्नेस्ट मनी जमा करायी जायेगी, जो रिफन्डेबल होगी। निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिऐ धरोहर राशि जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। अधिकतम टेण्डर राशि को स्वीकृत करने/निरस्त करने का अधिकार समिति में निहित होगा। ऐसे ठेकेदार/फर्म जो निगम के ठेके का किराया जमा न कर रहे हों, या जमा न किया गया हो, वह निविदा हेतु अयोग्य माने जायेंगें। पी0सी0ओ0 बूथ के ठेकों के लिए दूर संचार विभाग द्वारा प्रदत्त संयोजना प्रमाण–पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

वाहन पार्किग ठेका निदेशक मण्डल की 186 वी बैठक दिनॉक 02.05.2012 में परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर नवीन वाहन पार्किग ठेका नियमावली–2012 अकिंत शर्तें के अनुसार होगा व स्टाल अवधि एक वर्ष होगी। प्रत्येक निविदा के साथ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि (सम्पूर्ण एक वर्ष के) की 25 प्रतिशत

धनराशि के समतुल्य धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति के रूप में संलग्न करना होगा। जो क्षेत्रीय प्रबधंक, उ0प्र0परिवहन निगम गाजियाबाद के नाम देय होगा,चैक किसी भी दशा में मान्य न होगा। निविदा राशि 25 प्रतिशत धनराशि से कम सलंग्न किये गये बैंक ड्राफ्ट होने की स्थिति में निविदा पर विचार नही किया जायेगा। क्षेत्रीय समिति द्वारा निविदा स्वीकृत किये जाने के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर निविदाकर्ता को सम्पूर्ण ठेका अवधि (एक वर्ष)की निविदा धनराशि व (आयकर एवं सेवाकर छोडकर जो बाद में मासिक जमा होगी 10 तारीख तक) की तत्समय प्रचलित दर सहित धनराशि नगद/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी। ऐसा न किये जाने पर पूर्व में जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा नयी निविदा आमंत्रित किये जाने के लिऐ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम स्वंत्रत होगा। निविदाकर्ता को अपने पैनकार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी तथा मोबाइल न0 भी अकिंत करना होगा।

1–निविदकर्ता को निविदा फार्म के साथ इस आशय को नोटरी शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, कि उ0प्र0परिवहन निगम द्वारा किसी भी समय एक माह के नोटिस पर व अपना ठेका समाप्त कर देगा, और पार्किग राशि वसूली का कार्य बंद कर देगा, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

2–निविदाकर्ता को निविदा प्रारूप के साथ इस आशय को नोटरी शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि वह अपराधिक एवं संदिग्ध चरित्र का नही है।

3–अनुबंध पत्र 4 प्रति0 धनराशि के स्टाम्प पेपर पर करना होगा।

4–सेवाकर व आयकर प्रत्येक माह की 10 तारीख तक तत्समय दर पर जमा करना होगा।

स्टाल व पार्किग स्टाल संबंधी अन्य शर्ते कार्यालय में कार्यालय दिवस में देखी जा सकती है।

क्र0स0	पार्किग की दरें	नगर निगम वाले शहरों में	अन्य शहरों में
1	कार एवं चार पहिया वाहन	रू0 20.00 प्रथम चार घन्टें उसके उपरान्त रू0 06.00 प्रति घन्टें	रू0 15.00 प्रथम चार घन्टें उसके उपरान्त रू0 3.00 घन्टें
2	स्कूटर/मोटर साईकिल	रू0 10.00 प्रथम चार घन्टें उसके उपरान्त रू0 03.00 प्रति घन्टें	रू0 5.00 प्रथम चार घन्टें उसके उपरान्त रू0 2.00 घन्टें
3	साईकिल	रू0 05.00 प्रथम चार घन्टें उसके उपरान्त रू0 02.00 प्रति घन्टें	रू0 2.00 प्रथम चार घन्टें उसके उपरान्त रू0 1.00 घन्टें

किसी भी टेण्डर/नीलामी को अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित रहेगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
गाजियाबाद।

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम,कौशाम्बी, गाजियाबाद।

पत्रांकः 8149 /क्षे0प्र0/गा0बाद/सामान्य/ठेका–नीलामी/2015 **दिनांकः–11–09–2017**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–ईमेल के माध्यम से

1– प्रधान प्रबन्धक (विविध/एमआईएस), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ,।
2– नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी, महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ।
3– सहायक प्रबंधक(एम0आई0एस0) लखनऊ को विज्ञप्ति बेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
4– क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम,................. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5– सेवा प्रबंधक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक,उ0प्र0परिवहन निगम,खुरजा/बु0शहर/ सि0बाद/हापुड/लोनी/साहिबाबाद /कौशाम्बी/ आनन्द विहार/गाजियाबाद बस स्टेशन डिपो को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
6– नोटिस बोर्ड क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय/डिपो/बस स्टेशन। द्वाराः–केन्द्र प्रभारी
7– tender@upsrtc.com

क्षेत्रीय प्रबन्धक
गाजियाबाद